

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the era of economic liberalisation, some of the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (Act No. 14 of 1947) which is a Central legislation, have become outdated because these provisions have not been amended for the last so many years. It has been found that the outdated provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 are impediment in attracting the private investment and are also hampering the ease of doing business in the State. In order to increase industrial investment, production and employment opportunities and further enhancement of ease of doing business in the State of Himachal Pradesh and to ensure transparency in enforcement of the Labour Laws, some amendments are necessary in the aforesaid Act. As per “Make in India” programme launched by the Government of India, one of the requirements is “Ease of doing business” in the Country. Therefore, to provide a conducive and business friendly environment to the Industrial establishments as well as to the workmen, there is an urgent need to amend some provisions of the Industrial Disputes Act, 1947.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Industrial Disputes Act, 1947 in its application to the State of Himachal Pradesh had to be made urgently, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, after obtaining the instructions from the President of India, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, promulgated the Industrial Disputes (Himachal Pradesh Amendment) Ordinance, 2020 (Ordinance No. 4 of 2020) on 7th July, 2020 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 9th July, 2020. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular Legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(BIKRAM SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :
THE, 2020

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि०स०-विधायन-विधेयक/1-11/2020.-हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत टेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 6) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /—
सचिव,
हि० प्र० विधान सभा।

ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 1 का संशोधन।
3. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां।

2020 का विधेयक संख्यांक 6

ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक, 2020

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) का संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अधिनियम, 2020 है।

(2) यह 9 जुलाई, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. धारा 1 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश राज्य को यथालागू ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का 37) की धारा 1 की उपधारा (4) में, "बीस" शब्द जहां—जहां आता है के स्थान पर "तीस" शब्द रखा जाएगा।

3. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 3 का निरसन और व्यावृत्तियां.—(1) ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

ढेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) की धारा 1 की उपधारा (4) के अधीन अन्तर्विष्ट उपबन्ध ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठापन को लागू हैं जिसमें ढेका श्रम के रूप में पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन बीस या बीस से अधिक कर्मकार नियोजित हैं या नियोजित थे। अधिनियम ऐसे प्रत्येक संविदाकार को भी लागू होता है, जो पूर्ववर्ती बारह मास के किसी भी दिन बीस या बीस

से अधिक कर्मकारों को नियोजित करता है या उसने नियोजित किए हैं। इस निश्चित सीमा के कारण प्रमुख नियोजकों को, कार्मिकों को काम पर रखते समय या लघु उद्यमियों और छोटे संविदाकारों को संविदा निष्पादित करने में कठिनाई होती है, चूंकि छोटी इकाइयों को अधिनियम के अधीन औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह भी पाया गया है कि निम्नतर सीमा या तो अनुपालन को प्रोत्साहित करती है या मांग के अनुसार अपेक्षित श्रम के नियोजन (वचनबन्ध) को बाधित करती है।

नियोजन के अधिक अवसरों को प्रदान करने और सूक्ष्म और लघु इकाइयों के नियोजकों तथा छोटे संविदाकारों को सुकर बनाने के आशय से उपरोक्त निश्चित सीमा को बीस कर्मकारों से बढ़ाकर तीस कर्मकारों तक करना प्रस्तावित किया गया है। इससे राज्य में औद्योगिक निवेश, उत्पादन में वृद्धि होने और कारबार के सरल होने की भी संभावना है।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 में संशोधन किया जाना अनिवार्य हो गया था। इसलिए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा, भारत के राष्ट्रपति से अनुदेशों को अभिप्राप्त करने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 (2020 का अध्यादेश संख्यांक 3) तारीख 7 जुलाई, 2020 को प्रख्यापित किया गया था जिसे राजपत्र (ई-गजट), हिमाचल प्रदेश में तारीख 9 जुलाई, 2020 को प्रकाशित किया गया था। अब, उक्त अध्यादेश को बिना किसी उपांतरण के नियमित विधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(बिक्रम सिंह)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीख :, 2020

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 6 of 2020

**THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH
AMENDMENT BILL, 2020**

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 1.
3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020 and savings.

Bill No. 6 of 2020

**THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH
AMENDMENT BILL, 2020**

A

BILL

to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Act, 2020.

(2) It shall be deemed to have come into force on 9th day of July, 2020.

2. Amendment of section 1.—In section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (3 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh, in sub-section 4, for the word “twenty” wherever occurs, the word “thirty” shall be substituted.

3. Repeal of the Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020 and savings.—(1) The Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Ordinance, 2020 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been validly done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The provisions contained under sub-section (4) of section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970) are applicable to every establishment of which twenty or more workmen are employed or were employed on any day of the preceding twelve months as contract labour. The Act also applies to every contractor who employs or who employed on any day of the preceding twelve months, twenty or more workmen. Because of this threshold limit, the principal employers while hiring personnel or procuring commodities from small entrepreneurs and petty contractors, find it difficult to execute contracts, as the small units face hardships in ensuring formalities under the Act. It has been observed that lower limit either encourages non-compliance or restrict the engagement of required labour as per demand.

In order to provide more opportunities of employment and to facilitate employers of small units and petty contractors, it is proposed to enhance the above threshold limit from twenty to thirty workmen. This is also likely to increase industrial investment, production and ease of doing business in the State.

Since, the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the amendments in the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 in its application to the State of Himachal Pradesh, had to be made urgently, therefore, the Governor of Himachal Pradesh, after obtaining the instructions from the President of India, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, promulgated the Contract Labour (Regulation

and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Ordinance, 2020 (Ordinance No. 3 of 2020) on 7th July, 2020 which was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 9th July, 2020. Now, the said Ordinance is being replaced by a regular Legislation without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(BIKRAM SINGH)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

THE....., 2020.

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0-विधायन-विधेयक/1-12/2020.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 7) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित /—
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2020 का विधेयक संख्यांक 7

कारखाना (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 2 का संशोधन।
3. धारा 65 का संशोधन।
4. धारा 85 का संशोधन।
5. धारा 106 ख का अंतःस्थापन।
6. 2020 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियां।